



70240 - क्या उसके लिए जायज़ है कि वह केवल उम्रा का एहराम बांधे फिर मक्का से हज्ज की नीयत करे ?

प्रश्न

क्या यह जायज़ है कि एक मुसलमान केवल उम्रा करे, क्योंकि वह मीकात को पारकर आगे जाएगा और मक्का में रहेगा, और फिर अनिवार्य हज करेगा ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हाँ, मुसलमान के लिए यह जायज़ है कि वह मीकात से केवल उम्रा का एहराम बांधे, फिर जब उससे फारिग हो जाए तो हलाल हो जाए और मक्का में ठहरा रहे यहाँ तक कि जुल-हिज्जा के महीने के आठवें दिन मक्का में अपने स्थान ले हज्ज का एहराम बांधे। इस हज्ज को तमत्तुअ (तमत्तो) हज्ज कहते हैं। क्योंकि उसने अपने सफ़र में (स्थायी तौर पर) एक उम्रा और एक हज्ज किया है। और उन दोनों के दरमियान एहराम (के प्रतिबंध) से हलाल हो गया है।

हज्ज तमत्तुअ यह है कि मनुष्य हज्ज के महीनों : शव्वाल, जुल-क्कादा, और जुल-हिज्जा के दस दिनों में उम्रा करे, फिर उसी वर्ष में हज्ज करे।

हज्ज तमत्तुअ करनेवाले पर मक्का में हदी का जानवर ज़बह करना अनिवार्य है, जिसे वहाँ के गरीबों को वितरित कर दिया जाएगा। यदि उसके पास हदी का जानवर खरीदने के लिए कीमत नहीं है तो तीन दिन हज्ज के दौरान रोज़ा रखे, और सात दिन अपने देश लौटने के बाद रोज़ा रखे। क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ
[ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ] البقرة : 196

"जिसने उम्रा से लेकर हज्ज तक लाभ उठाया तो जो हदी (कुर्बानी का जानवर) उपलब्ध हो उसकी कुर्बानी करे। फिर जो व्यक्ति (कुर्बानी का जानवर) न पाए तो वह तीन रोज़े हज्ज के दिनों में रखे और सात रोज़े उस समय जब तुम घर लौट आओ। ये पूरे दस (रोज़े) हैं। यह हुक्म उस व्यक्ति के लिए है जिसके घर वाले मस्जिदे हराम के पास न रहते हों।" (सूरतुल बक्रा : 196).



तथा मनुष्य के लिए जायज़ है कि वह केवल हज्ज करे, इस प्रकार कि वह मीकात के पास हज्ज की नीयत करे, उम्रा की नीयत न करे और अपने एहराम पर (जुल-हिज्जा के महीने के) आठवें दिन तक बना रहे, फिर अपना हज्ज पूरा करे, और उसके ऊपर हदी (कुर्बानी) अनिवार्य नहीं है।

इसी तरह जायज़ है कि वह किरान हज्ज करे, इस तरह कि वह मीकात से हज्ज और उम्रा की एकसाथ नीयत करे। फिर जब मक्का पहुंचे तो तवाफ़ और सई करे और हलाल न हो, बल्कि अपने एहराम पर बना रहे यहाँ तक कि हज्ज के कार्य पूरे कर ले, और उस पर हज्ज तमत्तुअ करनेवाले के समान हदी अनिवार्य है।

हज्ज के ये तीनों प्रकार सब के सब जायज़ हैं, लेकिन इनमें सबसे अफ़ज़ल (सर्वश्रेष्ठ) तमत्तुअ (हज्ज) है।

इसका उल्लेख प्रश्न संख्या: (31822) और (27090) के जवाब में किया जा चुका है।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।